सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

3 वैशाख, 1941 (श०)

संख्या- 344 राँची, मंगलवार, 23 अप्रैल, 2019 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

15 अप्रैल, 2019

संख्या-5/आरोप-1-80/2015-1756 (HRMS)-- श्री आलोक कुमार, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक 832/03, गृह जिला- लोहरदगा), तत्कालीन अंचल अधिकारी, पाटन/पड़वा, पलामू के विरूद्ध राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-5171/रा०, दिनांक 16.11.2015 के माध्यम से उपायुक्त, पलामू के पत्रांक-852/स्था०, दिनांक 30.10.2015 द्वारा प्रपत्र- 'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया। प्रपत्र- 'क' में इनके विरूद्ध निम्न आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं:-

आरोप सं०-1- कठौतिया कोल माईन्स के अन्तर्गत 82.76 एकड़ भूमि, जो जंगल-झाड़ी की थी, उसे गैरमजरूआ भूमि (सरकारी भूमि) के रूप में मे० उषा मार्टिन, प्रा०लि० को कोयला उत्खन्न के लिए आवंटित कर दी गई, जो नियम के विरूद्ध था।

आरोप सं०-2- अभिलेख में संलग्न खतियानों की प्रमाणित प्रतिलिपि के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वैसी भूमि को भी गैरमजरूआ प्रतिवेदित किया गया, जो जंगल-झाड़ी थी। खतियानों की प्रमाणित प्रतिलिपि की छायाप्रति में TORN खतियान की प्रमाणित प्रतिलिपि की छायाप्रति से TORN खतियान के आधार पर यह साबित नहीं किया जा सकता है कि उक्त भूमि गैरमजरूआ ही था। खेसरा पंजी एवं चेक स्लीप के आवलोकन से पता चलता है कि जंगल-झाड़ी की भूमि को गैरमजरूआ भूमि दिखाया गया है।

आरोप सं०-3- श्री एन०के० मिश्रा, तत्कालीन आयुक्त, पलामू प्रमण्डल के पत्रांक-10 दिनांक 29.01.2015 के द्वारा भी कठौतिया कोल माईन्स में आपके विरूद्ध बंदोबस्त भूमि की बिक्री में CNT ACT धारा-49 का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है।

आरोप सं०-4- खतियानों की जाँच किए बिना जंगल-झाड़ी की भूमि को गैरमजरूआ भूमि मानकर खनन कार्य की स्वीकृति का प्रस्ताव आपके द्वारा उच्चाधिकारियों को प्रेषित किया गया, जो नियमानुकूल नहीं था।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-10432, दिनांक 09.12.2015 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की माँग की गई। इसके अनुपालन में श्री कुमार के पत्रांक-4973/गो०, दिनांक 31.12.2015 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। इनके स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-463, दिनांक 19.01.2016 द्वारा उपायुक्त, पलामू से मंतव्य की माँग की गयी। उपायुक्त, पलामू के पत्रांक-366/स्था०, दिनांक 20.06.2016 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके स्पष्टीकरण को अस्वीकार किया गया।

श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, पलामू से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं०-6597, दिनांक 29.07.2016 द्वारा इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई, जिसमें श्री एहतेशामुल हक, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। पुनः श्री हक के स्थान पर विभागीय संकल्प सं०-7840, दिनांक 09.09.2016 द्वारा श्री विनोद चन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

श्री कुमार के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही पूर्ण कर संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-172, दिनांक 14.12.2016 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके द्वारा विभागीय कार्यवाही के दौरान समर्पित बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत श्री कुमार के विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(vi) के तहत् इनकी दो वेतनवृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोकने का दण्ड प्रस्तावित किया गया।

उक्त प्रस्ताव दण्ड पर विभागीय पत्रांक-107, दिनांक 04.01.2019 द्वारा श्री कुमार से द्वितीय कारण पृच्छा की गई। श्री कुमार द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब अपने पत्र, दिनांक 10.01.2019 द्वारा समर्पित किया गया है।

श्री कुमार द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि इनके द्वारा वही तथ्य दोहराए गये, जो उनके द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष रखा गया था। अतः श्री आलोक कुमार, तत्कालीन अंचल अधिकारी, पाटन/पड़वा, पलामू द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकृत करते हुए इनके विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(vi) के अन्तर्गत इनकी दो वेतनवृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	ALOK KUMAR JHK/JAS/06	श्री आलोक कुमार, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक 832/03, गृह जिला- लोहरदगा), तत्कालीन अंचल अधिकारी, पाटन/पड़वा, पलामू के विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(vi) के अन्तर्गत इनकी दो वेतनवृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव।
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2972

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 344 -- 50